

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 42)

[28 सितम्बर, 1981]

भारत के कुछ सामुद्रिक क्षेत्रों में विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन
को विनियमित करने और उससे संबंधित
विषयों के लिए उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र” से राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मण्डलभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ख) “मत्स्य” से कोई जलीय जीवजन्तु अभिप्रेत है चाहे वह सरोवर पाटप समुदाय का हो अथवा नहीं और इसके अन्तर्गत जलीय कवच प्राणी, क्रस्टेशियाई, मोलस्क, कूर्म (चेनोनिया) जलीय स्तनधारी, (उसके युवशील, पोना अंडे और जलांडक) होल्थूरियन्स, सीलन्टरेटूस, समुद्री घास-पात, प्रवाल (पोरीफेरा) और कोई अन्य जलीय जीव हैं;

(ग) “मत्स्यन” से किसी भी ढंग से मछली को फंसाना, बझाना, उसको मार डालना, आकर्षित करना या उसका पीछा करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मछली का प्रसंस्करण, परिरक्षण, अंतरण, प्राप्त करना तथा परिवहन है;

(घ) “विदेशी जलयान” से भारतीय जलयान से भिन्न कोई जलयान अभिप्रेत है;

(ङ) “भारतीय जलयान” से अभिप्रेत है—

(I) वह जलयान जो सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम के स्वामित्वाधीन है, या

(II) वह जलयान—

(i) जो पूर्णतः ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन है जिनमें से प्रत्येक को निम्नलिखित वर्णनों में से कोई लागू होता है :—

(1) भारत का नागरिक,

(2) ऐसी कम्पनी जिसमें कम से कम साठ प्रतिशत शेयर पूँजी भारत के नागरिकों द्वारा धारित है,

(3) कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी जिसका प्रत्येक सदस्य भारत का नागरिक है या जहां कोई अन्य सहकारी सोसाइटी उसकी सदस्य हो वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य है, भारत का नागरिक है ; और

(ii) जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन या किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या किसी राज्य में उस समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी जाती है;

(च) “अनुज्ञप्ति” से धारा 4 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(छ) “भारत का सामुद्रिक क्षेत्र” से भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ज) “मास्टर” से किसी जलयान के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके समादेशन या भारसाधन में उस समय जलयान है;

(झ) “स्वामी” के अन्तर्गत किसी जलयान के संबंध में व्यक्तियों का कोई संगम, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसके स्वामित्व के अधीन जलयान है या जिसके द्वारा उसे चार्टर किया गया है, अभिप्रेत है;

(ज) “अनुज्ञापत्र” से धारा 5 के अधीन मंजूर किया गया या मंजूर किया गया समझा गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है;

(ट) “विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) “प्रसंस्करण” के अन्तर्गत मत्स्यन के संबंध में मछली को साफ करना, उसका सिर काटना, पतले टुकड़े करना, छिलका उतारना, स्वक्षण करना, बर्फ में रखना, प्रशीतन करना, डिब्बा बन्दी करना, लवणीय करना, धूमन करना, पकाना, अचार डालना, सुखाना और अन्यथा किसी ढंग से तैयार या परिरक्षण करना है;

(ड) “विनिर्दिष्ट पत्तन” से ऐसे पत्तन अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे;

(ढ) “भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड” से राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मण्डलटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 3 के उपवंधों के अनुसार भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड अभिप्रेत है;

(ण) “जलयान” के अन्तर्गत कोई पोत, नौका, चलत जलयान या किसी अन्य प्रकार का कोई जलयान है।

अध्याय 2

विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन

3. भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन पर प्रतिषेध—इस अधिनियम के उपवंधों के अधीन रहते हुए किसी विदेशी जलयान का उपयोग भारत के किसी सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा—

(क) धारा 4 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति ; या

(ख) धारा 5 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र,

के अधीन या उसके अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

4. अनुज्ञप्तियों की मन्जूरी—(1) किसी विदेशी जलयान का स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति [जो इन दोनों में से किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (ii) की मद (i) की उपमद (1) से उपमद (3) तक में विनिर्दिष्ट वर्णनों में से कोई लागू होता है] जो ऐसे जलयान का भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में मत्स्यन के लिए उपयोग करना चाहता है, केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञप्ति की मन्जूरी के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(3) किसी अनुज्ञप्ति को तब तक मन्जूर नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे विषयों को ध्यान में रखते हुए जो लोकहित में इस निमित्त विहित किए जाएं और ऐसे अन्य विषयों की बाबत जो सुसंगत हों, जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता है कि अनुज्ञप्ति को मन्जूर किया जा सकता है।

(4) किसी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के लिए आवेदन को मन्जूर या नामन्जूर करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा।

(5) इस धारा के अधीन मन्जूर की गई कोई अनुज्ञप्ति—

(क) ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए;

(ख) ऐसे क्षेत्रों, ऐसी अवधि, मत्स्यन के ऐसे ढंग और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, वैध होगी ;

(ग) समय-समय पर नवीकृत की जा सकेगी ; और

(घ) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगी जो विहित की जाएं और ऐसी अतिरिक्त शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(6) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसे नियोजन के दौरान इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों और ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन करता है ।

5. विदेशी जलयानों का उपयोग करने वाले भारतीय नागरिकों, आदि द्वारा मत्स्यन पर प्रतिषेध—(1) ऐसा प्रत्येक भारतीय नागरिक और प्रत्येक वह व्यक्ति जो धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (II) की मद (i) की उपमद (2) या उपमद (3) में विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग में आता है और जो विदेशी जलयान का भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में मत्स्यन के लिए उपयोग करना चाहता है, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे जलयान का उपयोग करने के अनुज्ञापत्र के लिए कोई आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

(3) किसी अनुज्ञापत्र को तब तक मन्जूर नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे विषयों को ध्यान में रखते हुए जो लोक हित में इस निमित्त विहित किए जाएं और ऐसे अन्य विषयों की बाबत, जो सुसंगत हों, जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता है कि अनुज्ञापत्र मन्जूर किया जा सकता है ।

(4) किसी अनुज्ञापत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन को मन्जूर या नामंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा ।

(5) इस धारा के अधीन मन्जूर किया गया अनुज्ञापत्र :—

(क) ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए ;

(ख) ऐसे क्षेत्रों, ऐसी अवधि, मत्स्यन के ऐसे ढंग और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, वैध होगा ;

(ग) समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा ; और

(घ) ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन होगा जो विहित किए जाएं और ऐसी अतिरिक्त शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) इस धारा के अधीन अनुज्ञापत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसे नियोजन के दौरान इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम और आदेश के उपबंधों और ऐसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का अनुपालन करता है ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में या धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी किसी अनुज्ञा के बारे में, जो किसी भारतीय नागरिक को किसी भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र में किसी विदेशी मत्स्य जलयान का उपयोग करने या उसे नियोजित करने के लिए दी गई है और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, यदि ऐसी अनुज्ञा के निवंधन और शर्तें इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं तो यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अधीन मंजूर किया गया अनुज्ञापत्र है और ऐसी अनुज्ञा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिनके अन्तर्गत संक्रिया के क्षेत्र और उसकी विधिमान्यता की अवधि की शर्तें भी हैं, प्रवृत्त बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसी अनुज्ञा को लागू होंगे ।

6. अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का रद्दकरण या निलंबन—(1) यदि यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण हो किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के धारक ने ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन में या उसके संबंध में ऐसा कोई कथन किया है जो असत्य है या तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबन्धों का या किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के किन्हीं उपबन्धों का या उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों या निर्बन्धनों का उल्लंघन है, तो केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को, ऐसे धारक द्वारा, यथास्थिति, ऐसा सत्य या मिथ्या कथन करने के लिए या ऐसे उल्लंघन के लिए उसके विरुद्ध की जा रही जांच के पूरा होने तक, निलंबित कर सकेगी ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाता है कि किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के धारक ने ऐसा असत्य या मिथ्या कथन किया है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है या उसने इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबन्धों का या किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के किन्हीं उपबन्धों का या उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों या निर्बन्धनों का उल्लंघन किया है तो वह किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना जिसके लिए ऐसा धारक इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दायी हो, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को रद्द कर सकेगी ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर दिया गया है, ऐसे निलंबन के ठीक पश्चात् ऐसे विदेशी मत्स्य जलयान का, जिसकी बाबत ऐसी अनुज्ञप्ति, या अनुज्ञापत्र दिया गया है, उपयोग करना रोक देगा और इस प्रकार मत्स्यन का कार्य पुनः आरंभ तब तक नहीं करेगा जब तक निलंबन आदेश को प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है।

(4) ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक जिसे निलंबित कर दिया गया है, ऐसे निलंबन या रद्दकरण के ठीक पश्चात्, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को केन्द्रीय सरकार को अभ्यर्पित कर देगा।

7. भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों में संभार भराई के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के बिना विदेशी जलयान का प्रवेश करना—जहां भारत के किसी सामुद्रिक क्षेत्र में कोई विदेशी जलयान इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के बिना प्रवेश करता है वहां ऐसे जलयान का मत्स्यन संभार, यदि कोई हो, उन सभी समयों पर जब वह ऐसे क्षेत्र में रहता है, विहित रीति से भरण अवस्था में रखा जाएगा।

8. वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण, आदि के लिए मत्स्यन—धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी विदेशी जलयान को कोई वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए या प्रायोगिक आधार पर मत्स्यन के लिए ऐसे निवंधनों और शर्तों के अनुसार जो विहित की जाएं, भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में मत्स्यन के लिए उपयोग करने के लिए लिखित रूप में अनुज्ञा दे सकेगी।

अध्याय 3

तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां

9. प्राधिकृत अधिकारी और उनकी शक्तियां—(1) तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) के अधीन गठित तटरक्षक का कोई अधिकारी या सरकार का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि इस अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है या नहीं वारण्ट के सहित या उसके बिना,—

(क) भारत के किसी सामुद्रिक क्षेत्र में किसी विदेशी जलयान को रोक सकेगा या उस पर चढ़ सकेगा, और मछलियों के लिए तथा मत्स्यन में उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने योग्य उपस्करों के लिए ऐसे जलयान की तलाशी ले सकेगा;

(ख) ऐसे जलयान के मास्टर से—

(i) जलयान से संबंधित किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, लाग बुक या अन्य दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, लाग बुक या दस्तावेजों की स्वयं परीक्षा कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा;

(ii) ऐसे जलयान के फलक पर के या ऐसे जलयान के किसी परग्राही, जाल, मत्स्यन संभार या अन्य उपस्कर को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी मछली, जाल, मत्स्यन संभार या उपस्कर की स्वयं परीक्षा कर सकेगा;

(ग) ऐसी कोई जांच कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि क्या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी विदेशी मत्स्य जलयान का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने में उपयोग किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है वहां वह वारण्ट के सहित या उसके बिना—

(क) ऐसे जलयान को जिसके अंतर्गत ऐसे जलयान के फलक पर पाया गया या ऐसे जलयान का मत्स्यन संभार, मछली, उपस्कर, स्टोर या स्थोरा भी है, अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकेगा और जलयान द्वारा परित्यक्त किसी मत्स्यन संभार को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकेगा;

(ख) इस प्रकार अभिगृहीत या निरुद्ध जलयान के मास्टर से ऐसे जलयान को किसी विनिर्दिष्ट पत्तन में लाने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) किसी व्यक्ति को जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को विश्वास करने का कारण हो कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, गिरफ्तार कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई कार्रवाई करने में प्राधिकृत अधिकारी ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई जलयान या अन्य चीजें अभिगृहीत की जाती हैं या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है वहां,—

(क) इस प्रकार अभिगृहीत जलयान या अन्य चीजें यथासम्भव शीघ्र इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी जो ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह इस अधिनियम के

अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक सरकार के पास या किसी अन्य प्राधिकारी के पास ऐसे जलयान या चीजों के प्रतिधारण या अभिरक्षा के लिए या ऐसे प्रतिधारण या अभिरक्षा के दौरान ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो मजिस्ट्रेट अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे प्राधिकारी द्वारा उसके उपयोग के लिए ठीक समझे :

परन्तु मजिस्ट्रेट ऐसे जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर इस प्रकार अभिगृहीत जलयान या चीजों के मूल्य की कम से कम पचास प्रतिशत रकम के लिए नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति स्वामी या मास्टर द्वारा दिए जाने पर इस प्रकार अभिगृहीत जलयान या अन्य चीजों के निर्मोचन का आदेश दे सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां इस प्रकार अभिगृहीत कोई मछली क्षयशील है वहां मजिस्ट्रेट ऐसी मछली के विक्रय को और ऐसे विक्रय आगमों को न्यायालय में निश्चिप्त करने को प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथासम्भव शीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी जाएगी और उसे अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसे अभिग्रहण या गिरफ्तारी की और उसके ब्यौरों की जानकारी दी जाएगी ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के अनुसरण में किसी विदेशी जलयान का भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर तक पीछा किया जाता है वहां इस धारा द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का ऐसी सीमाओं के बाहर प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय विधि और राज्य की प्रथा द्वारा मान्यताप्राप्त परिस्थितियों में और विस्तार तक किया जा सकेगा ।

अध्याय 4

अपराध और शास्तियां

10. धारा 3 के उल्लंघन के लिए शास्ति—जहां किसी विदेशी जलयान का उपयोग धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है वहां ऐसे जलयान का स्वामी या मास्टर,—

(क) उस दशा में जब ऐसा उल्लंघन भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड के भीतर किसी क्षेत्र में होता है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पन्द्रह लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ; और

(ख) उस दशा में जब ऐसा उल्लंघन भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में होता है, जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

11. अनुज्ञप्ति के उल्लंघन के लिए शास्ति—जो कोई किसी अनुज्ञप्ति के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से जो दस लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

12. अनुज्ञापत्र के उल्लंघन के लिए शास्ति—जो कोई किसी अनुज्ञापत्र के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह—

(क) जहां ऐसे उल्लंघन का संबंध अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट सक्रिय क्षेत्र या मत्स्यन की रीति से है, जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से अधिक का न हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

13. जलयानों का अधिहरण आदि—(1) जहां किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 11 या धारा 12 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अपराध के किए जाने में या उसके संबंध में प्रयुक्त विदेशी जलयान का उसके मत्स्यन संभार, उपस्कर, यान-सामग्री और स्थोरा तथा ऐसे पोत के फलक पर की किन्हीं मछलियों या धारा 8 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विक्रय के लिए आदिष्ट किन्हीं मछलियों के विक्रय आगमों सहित अधिहरण भी किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिहृत विदेशी जलयान या अन्य चीजें केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

14. धारा 7 के उल्लंघन के लिए शास्ति—जहां कोई विदेशी जलयान धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए भारत के किसी सामुद्रिक क्षेत्र में पाया जाएगा वहां ऐसे जलयान का स्वामी या मास्टर जुर्माने से जो पांच लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

15. प्राधिकृत अधिकारियों की बाधा के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी प्राधिकृत अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में जानबूझकर बाधा पहुंचाएगा ; या

(ख) प्राधिकृत अधिकारी या उसके सहायकों को जलयान पर चढ़ने के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करने में या ऐसे अधिकारी और उसके सहायकों के जलयान में प्रवेश के समय या उस समय जब वे ऐसे जलयान के फलक पर हों पर्याप्त सुरक्षा का प्रबन्ध करने में असफल रहेगा ; या

(ग) जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा की जाने पर, जलयान को रोकने में या अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र, लाग बुक या अन्य दस्तावेजों को या ऐसे जलयान के फलक पर की किसी मछली, जाल, मत्स्यन संभार या अन्य उपस्कर को पेश करने में असफल रहेगा,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से अधिक का न हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

16. न्यायालयों द्वारा कुछ आदेशों का पारित किया जाना—जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां न्यायालय कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त यह आदेश कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान जलयान के प्रतिधारण या अभिरक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय उस रकम को यदि कोई हो, जो उस प्राधिकारी द्वारा जिसके पास ऐसा जलयान प्रतिधारित था या जिसकी अभिरक्षा में था, जलयान के उपयोग से वसूल की गई हो, घटाकर सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा संदेय होगा।

17. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबाह के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी ऐसे दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौतानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जान उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

18. अपराधों का संज्ञेय होना—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

19. अपराधों का संज्ञान और विचारण—(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए जाने पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

20. वर्धित शास्ति अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा।

21. विचारण का स्थान—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध करने वाले किसी व्यक्ति का अपराध के लिए विचारण ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जिसका केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निदेश करे।

22. उपधारणाएं—(1) जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिक्षित है वहां ऐसे अपराध के किए जाने का स्थान उस जलयान या वायुयान के जिसका उपयोग अपराध का पता चलाने के सम्बन्ध में किया गया था, लाग बुक या अन्य शासकीय अभिलेख में सुसंगत प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति के आधार पर उपधारित किया जाएगा।

(2) जहां कोई विदेशी जलयान भारत के किसी सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर पाया जाता है और ऐसे जलयान का मत्स्यन संभार विहित रीति से भरा नहीं गया है या ऐसे जलयान के फलक पर मछली पाई जाती है वहां जब तक उसके विरुद्ध सावित न किया जाए यह उपधारित किया जाएगा कि उक्त जलयान का उपयोग उस क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिए किया गया था।

23. सद्व्यावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्व्यावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्व्यावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के विरुद्ध न होगी।

24. अधिनियम का अन्य विधियों का पूरक होना—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

25. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप जिसमें किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वह फीस जो ऐसे आवेदन के साथ संलग्न होगी ;

(ख) वे विषय जिन पर अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र की मंजूरी के समय विचार किया जाएगा ;

(ग) अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का प्ररूप और वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र मंजूर किए जा सकेंगे ;

(घ) वह रीति जिसमें विदेशी जलयान का मत्स्यन संभार धारा 7 के अधीन भरा रखा जाएगा ;

(ङ) वे निवन्धन और शार्तें जिनके अधीन किसी विदेशी जलयान को कोई वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वयेण करने के प्रयोजन के लिए या धारा 8 के अधीन प्रायोगिक आधार पर मत्स्यन के लिए किसी भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिए उपयोग किए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ;

(च) वह प्ररूप जिसमें धारा 9 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक के अधीन अभिगृहीत जलयान या अन्य चीजों के निर्माचन के लिए आवेदन किया जा सकेगा ;

(छ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात्, वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. कठिनाइयों को दूर करना—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।